

02/11/25
2025/706

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 05/11/2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 4251

उपरोक्त प्रकरण - वि.क.ड.पि. कुंजी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 309/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेना है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 20 / भूअ. / 2025 दिनांक 29/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम वि.क.ड.पि. कुंजी पटवारी वि.क.ड.पि. कुंजी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. भू.गे. खाता संख्या 8312 में खातेदार वि.क.ड.पि. कुंजी के स्थान पर वि.क.ड.पि. कुंजी का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का वि.क.ड.पि. कुंजी उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 05/11/2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 4252-53

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का वि.क.ड.पि. कुंजी तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



2023/706

20
9.10.25

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी प्रार्थी का नाम शिमारला जागीर के खता सं. 83, 27, 209, 31, 200, 123, 204, 257, 198, 197 में विजेन्द्र पुत्र रामदेव अशुद्ध दर्ज हैं। जबकि संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में विजेन्द्र सिंह कुड़ी पुत्र रामदेव सिंह कुड़ी दर्ज हैं। अतः श्रीमानजी उक्त दस्तावेज के आधार पर ^{उक्त} खता सं. में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र रामदेव के वजाय विजेन्द्र सिंह कुड़ी पुत्र रामदेव सिंह कुड़ी दिया जाना उपरि होगा।

पं. शिमारला जागीर

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

9.10.25

पुत्राधिकार पत्राधिकार रिपोर्ट व ILR गांय
मनीय फावित सु द्वि कि मनी इति है व सुल 3 17
अमि संघी की गरी है
तहसीलदार (प. अ.)
श्रीपादोपुर (सीकर)

329
17-10-25

आदेश

पटवारी हलका शिमारला जागीर व भू.अ.नि. वृत्त महरोली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीपादोपुर की अमि संघा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम शिमारला जागीर के खता सं. 83, 27, 209, 31, 200, 123, 204, 257, 198, 197 में दर्ज विजेन्द्र पुत्र रामदेव के स्थान पर विजेन्द्र सिंह कुड़ी पुत्र रामदेव सिंह कुड़ी दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपलब्ध अधिकारी
श्रीपादोपुर